कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के ऊपर आर०सी०सी० टाई बीम डालना उचित/आवश्यक है। जो डी०पी०सी० लेवल सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जाये।

मानचित्र संख्या 498 542/जी0एम0पी0/जी0एच0/08-09

दिनांक 8/01/09

मै0 टेक मैन बिल्डवैल प्रा0लि0
द्वारा श्री असीम आनन्द पुत्र श्री विश्वनाथ अग्रवाल
जी-1354, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली-19

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.08 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन की मोहल्ला / कालोनी / खसरा सं0-238 ग्राम मोरटा पर निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. यह मानिचत्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, (जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नही होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह विना किसी आपित्त के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय / प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदार नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की न ओर खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अंदर कोई निर्माण कार्य नही किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नही रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वंय करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मोके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन में स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानिचत्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास असधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं वनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरवीजन एवं स्पेशिफिकेशन की नियम / शर्तो का पालन करना होगा।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 05.05.08 का पालन करना होगा। स्थल पर एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की संख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक 100 मी0 पर एक पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अंदर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी0 से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. अस्पताल, नर्सिहोंम, होटल, अतिथि ग्रह, विश्राम ग्रह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संसथाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हॉल, बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयत्र की स्थापना करनी होगी।
19. बाह्य विकास शुल्क की 75 प्रतिशत अवशेष धनराशि अंकन रू0 1,48,17,784.00 को तीन वर्ष की छमाही किस्तो में 12 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराना होगा अन्यथा मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
20. भवन उपयोग से पूर्व भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व सोलर वाटर हार्वेस्टिंग स्वंय करानी होगी। विद्युत नियमों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा तथा रेन
21. वकल्पिक सौर ऊर्जा का प्राविधान करना होगा।
22. सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 50 पेड़ प्रति है0 लगाने होगें।
23. 15 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु छोड़ना होगा।
24. निर्धारित 24 मीटर चौडे मार्ग में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोडते हुए निर्माण / विकास कार्य किया जायेगा।
25. प्रस्तुत बैंक गारन्टी की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व स्वंम बढ़वाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
26. भू-स्वामितव की समस्त जिमेदारी आपकी होगी। किसी वाद विवाद कि स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
27. प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर हिण्डन ऐरोडोम की एन0ओ0सी0 तीन माह के अंदर प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा बिल्डिंग की हाईट 20 मीटर से अधिक नही होगी। अर्थात अप्राप्त की स्थिति में मानचित्र में 20 मीटर तक स्वीकृति मानी जायेगी।

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के ऊपर आर०सी०सी० टाई बीम डालना उचित/आवश्यक है। जो डी०पी०सी० लेवल सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जाये।

संलग्नक : 1. दो सेट स्वीकृत मानचित्र।

3/1/09

सी0ए0टी0पी0
गाजियाबाद

पत्रांक / एमपी/ दिनांक

प्रतिलिपि :1. अधि0 अधि0 नगर निगम गाजियाबाद को स्वीकृति मानचित्र सहित।
2. प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को सूचनार्थ।

सी0ए0टी0पी0
गाजियाबाद